संख्या- 17/2018/2561/33-3-2017-100(06)/2017

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2018**

विषय:- पंचायतीराज निदेशालय में मोटर गाड़ियों के क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/661/2014-3/20/2014 दिनांक 30.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज निदेशालय में निम्नलिखित विवरण के अनुसार वाहन क्रय किए जाने हेतु **रू. 3454631/-** अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	वाहन का नाम	मूल्य रू. में	वाहन की संख्या	कुल मूल्य रू. में
1	इनोवा क्रिस्टा	12,66,427/-	01	12,66,427/-
2	सियाज डेल्टा (पेट्रोल)	7,29,401.42/-	03	21,88,204.26/-
				3454631.26/- अर्थात पूर्णांकित करते हुए रू. 3454631/-

(1) क्रय किए जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत वाहन का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(3) वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य में किया गया व्यय अनुमन्य नही होगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

(5) वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित कर लेंगें कि उक्त वाहन के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात् इसकी दृवरावृत्ति न हो।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या-8/2017/ बी-1-1190/ दस-2017- 231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/ 2017/ बी-1- 1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/ बी-2-1775/दस-2017-244/ 2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत निदेशक,पंचायतीराज द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण किया जायेगा।

(10) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबधं में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(11) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबधं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेैण्डर्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

http://shasnadeshup.nic.in

(14) इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-पंचायतीराज निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्रावधानित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/ 2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

htpp://shasnadeshup.nic.in